लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS.

प्रकरण संख्या : 03/ 2025
GCMS NO. : 2025/24

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–
श्री शरद पंड्या, कार्यालय अन्दर की खबर समाचार पत्र, घंटाघर के पास, त्रिपोलिया रोड, बांसवाडा	बनाम	उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 27–02–2025

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 18.12.2024 (पोस्टल ऑर्डर नं. 63एफ 876474) को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। जिससे अप्रसन्न, असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.04.01 10:37:57 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 03.02.2025 को जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष

लोक सूचना अपीलीय प्रा.
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

रखने उपस्थित होने सूचित किया गया। दिनांक 19.02.2025 को जारी नोटिस बाद तामिल प्रस्तुत हुए।

आज दिनांक 27.02.2025 को अपीलार्थी अनुपस्थित है। प्रत्यर्थी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 18.12.2024 (पोस्टल ऑर्डर नं. 63एफ 876474) से 1 बिन्दु पर सूचना चाही गई थी। किन्तु वांछित सूचना रेस्पोडेंट लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा) द्वारा उपलब्ध नही करवाया जाना प्रतित हो रहा है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने कार्यालय में रेकार्ड उपलब्धता के आधार पर अपीलार्थी को 15 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(6) के तहत निःशुल्क सूचना उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति सम्बन्धित को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27—02—2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इन्द्रजीत यादव) IAS.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.04.01 10:37:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner